# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खमनोर, जिला राजसमन्द।

**– प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर**

**बनाम**

श्री किशन लाल सेन पिता श्री रामचंद्र सेन तहसील कार्यालय के पास, मुस्लिम बस्ती, गांव–खमनोर, तहसील– नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

**–ऋणी / सहऋणी**

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 19 / 2018**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 18.03.2019**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खमनोर, जिला राजसमन्द ने दिनांकः 14.09.2018 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br>प्रार्थी बैंक ने ऋणी / सहऋणी को 4,46,000 / – रूपये, 2,00,000 / – रूपये एवं 1,00,000 / – रूपये कुल रूपये 7,46,000 / –रूपये (सात लाख छियालीस हजार रूपये ) की वित्तिय सुविधा दिनांक 16.03.2013, 26.06. 2015 एवं 03.03.2014 को खाता संख्या 61181962477, 61276975138 एवं 61215259967 को प्रदान कराई गयी थी तथा उक्त वित्तीय सुविधा प्रदान करते समय उक्त सम्पत्ति के स्वामी श्री किशन लाल सेन पिता श्री रामचंद्र सेन के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय मकान क्षेत्रफल 390 वर्गफीट है जो कि आराजी नं. 1977, तहसील कार्यालय के पास मुस्लिम बस्ती, गांव खमनौर, तहसील– नाथद्वारा जिला राजसमन्द में स्थित सम्पत्ति को मोरगेज किया गया। बैंक को मोरगेज रखी सम्पत्ति से संबंधित समस्त असल दस्तावेज हमारे बैंक को सुपुर्द कर दिये। अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात नियमानुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जिस कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाता संख्या 61181962477, 61276975138 एवं 61215259967 को एनपीए घोषित कर दिये गये।<br>बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 07.09.2017 को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस भेजा गया व अप्रार्थीगण से खाता संख्या 61181962477, 61276975138 एवं 61215259967 में बकाया राशि रू 7,44,765 / – रूपये उक्त दिनांक तक व इसके पश्चात से भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार लागू ब्याज दर से राशि की मांग की गई।<br>उक्त ऋणी को एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 07.09.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी। | |

न्यायालय जिला कलक्टर

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 07.09.2017 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत कर उसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खमनोर, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी श्री किशन लाल सेन पिता श्री रामचंद्र सेन के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय मकान क्षेत्रफल 390 वर्गफीट है जो कि आराजी नं. 1977, तहसील कार्यालय के पास मुस्लिम बस्ती, गांव खमनौर, तहसील– नाथद्वारा जिला राजसमन्द में स्थित निजी जमीन है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खमनोर, जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खमनोर, जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)